सं.21011/14/2016-स्था.(ए-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 9 जुलाई, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञापन</u>

विषयः रिपोर्टिंग अवधि 2008-09 से पहले की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (ए.सी.आर.) में मानदण्ड (बैंचमार्क) से नीचे ग्रेडिंग-पैनलबद्धकरण संबंधी मामले।

इस विभाग के दिनांक 13.04.2010 के का.ज्ञा.सं. 21011/1/2010-स्था.(क) का संदर्भ लें जिसके माध्यम से सरकार का यह निर्णय सूचित किया गया था कि यदि पदोन्नति हेतु भावी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में किसी कर्मचारी पर विचार किया जाना है और वर्ष 2008-09 की अवधि से पहले की उसकी वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) जो ऐसी भावी विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) में उसकी योग्यता के मूल्यांकन हेतु संगणनीय हो और उसमें ऐसी अंतिम ग्रेडिंग शामिल हों जो उसकी अगली पदोन्नति के लिए मानदंड से नीचे हों, तो ऐसी वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले संबंधित कर्मचारी को उसके अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के लिए संबंधित वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) की प्रति दी जाएगी। तत्पश्चात्, दिनांक 22.05.2014 के समसंख्यक का.ज्ञा. के माध्यम से यह और स्पष्ट किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां एक स्तर के मानदंड अन्य स्तर के पदों के मानदंड से भिन्न हैं तथा जहां उन्नयन के पश्चात् किसी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में उसकी योग्यता के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2008-09 की अवधि से पूर्व की वार्षिक गोपनीयता (एसीआर) रिपोर्ट संगणनीय है, (किसी पैनलबद्धकरण /वित्तीय उन्नयन सहित) तो वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) की एक प्रति संबंधित अधिकारी को अभ्यावेदन, यदि कोई हो, हेतु दी जाएगी।

2. इसे विभाग में केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस) के अधीन संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव स्तर के धारित पदों के पैनलबद्धकरण के संबंध में मामले पर विचार किया गया है। सीएसएस के अधीन पैनलबद्धकरण की प्रक्रिया तथा संवर्ग में पदोन्नति के लिए पैनलबद्धकरण की प्रक्रिया भिन्न है। संवर्ग में पदोन्नति के मामले में जहाँ एक नियत मानदंड (बेंचमार्क) निर्धारित है वहीं सीएसएस धारित पदों के लिए पैनलबद्धकरण का कार्य इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट, समग्र सेवा रिकॉर्ड, अधिकारी की सतर्कता की स्थिति और संबंधित पणधारियों आदि से प्राप्त बहु-स्रोत फीडबैक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। सीएसएस के अधीन पैनलबद्धकरण के लिए ऐसा कोई पूर्व-निर्धारित मानदंड (बेंचमार्क) नहीं है।

3. अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.04.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/01/2010- स्था.(क) के प्रावधान केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस) के अधीन संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव स्तर के धारित पदों के पैनलबद्धकरण के संबंध में लागू नहीं होते हैं। दिनांक 22.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/01/2010- स्था.(क) के पैरा 2 (ग) में उल्लिखित 'पैनलबद्धकरण' शब्द का तात्पर्य संवर्ग में पदोन्नति के लिए पैनलबद्धकरण किए जाने से है और इसका अर्थ सीएसएस के अधीन धारित पदों के लिए पैनलबद्धकरण से नहीं है।

(कबीन्द्र जोशी)
निदेशक (ई-II)

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।

निम्नलिखित भी प्रति प्रेषितः

1. स्थापना अधिकारी एवं सचिव, एसीसी (10 प्रतियां)।
2. एनआईसी (डीओपीटी) को वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए।